राजस्थान पत्रिका . जयपुर, गुरुवार, 02 अगस्त, 2018
patrika.com

तफ्तीश में देरी पर लोकायुक्त की आपत्ति, अनुसंधान प्रक्रिया में होगा बदलाव

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. बार-बार तफ्तीश बदलने से आपराधिक मामलों के निस्तारण में हो रही देरी से लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। पूर्व आइएएस अधिकारी पीके देब के साथ मारपीट व दौसा के एक मामले का हवाला देते हुए लोकायुक्त ने वर्तमान व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता जताई है। अब सरकार ने अनुसंधान की प्रक्रिया बदलने का निर्णय लिया है। इसमें बदलाव पर चर्चा के लिए गृह विभाग ने 6 अगस्त को एक बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग की कानून शाखा के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

प्रक्रिया पर होगा विचार

बैठक में अनुसंधान बदलने की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। इससे पहले गृह विभाग ने अगस्त 2012 में निर्देश जारी किए गए थे। इसमें पहली बार तय हुआ था कि अनुसंधान अधिकतम तीन बार ही बदला जाएगा। इसके अलावा और निर्देश भी दिए थे। बावजूद इसके कई मामलों में अनुसंधान बदलने के कारण मामले वर्षों तक नतीजे तक नहीं पहुंचते। इस बैठक में ऐसी स्थिति से बचने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मामलों को नतीजे तक पहुंचाने में देरी को लेकर लोकायुक्त चार आइपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कह चुका है।